खान एवं भूतत्व विभाग, भूतत्व निदेशालय
19 MAY 2026
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

Email Id : jointsecretary-mines@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक:– से०शि०नि०पदा०का०–01/2026/ख०भू०वि० 925/एम०, राँची दिनांक: 15/05/26

प्रेषक,

रंजीत कुमार,
सरकार के उप सचिव–सह–
सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी।

सेवा में,

श्री कुमार अमिताभ
विभागीय नोडल पदाधिकारी
खान एवं भूतत्व विभाग
झारखण्ड, राँची।

विषय:– सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं शिकायत हेतु विहित पत्र प्रारूप विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने के संबंध में।

प्रसंग:– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1909 दिनांक–26.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली–2026 के तहत सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी नामित किये जाने एवं शिकायत दर्ज करने हेतु विहित प्रपत्र का प्रयोग किये जाने की सूचना संसूचित किये जाने के निमित्त दोनों सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

अनु०:– यथोक्त।

विश्वासभाजन
15/05/2026
सरकार के उप सचिव

निदेशक, भूतत्व
झारखण्ड, राँची
प्राप्ति संख्या 1771
दिनांक 18/05/2026

शिकायत हेतु आवेदन का प्रपत्र
(झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली–2026 के तहत)

सेवा में,

सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी,
खान एवं भूतत्व विभाग, नेपाल हाउस,
राँची, झारखण्ड।

विषयः– झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली–2026 के तहत शिकायत।

महाशय,

निवेदनपूर्वक विषयांकित नियमावली के तहत शिकायत से संबंधित विवरणी निम्नवत् हैः–

(i) शिकायत का विवरणः–
(नियमावली के नियम–3 के अनुसार)

(ii) शिकायत के समर्थन में समर्पित साक्ष्य/गवाह का विवरणीः–

(iii) शिकायत का संबंध जिस कार्यालय/पदाधिकारी से हो का नाम/पदनामः–

2. मैं प्रमाणित करता हूँ किः–

(i) उक्त शिकायत से संबंधित मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ii) उक्त शिकायत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत नहीं है।

(iii) उक्त शिकायत अनुशासनिक एवं विभागीय कार्रवाई तथा स्थानान्तरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति से संबंधित नहीं है।

(iv) उक्त शिकायत में अंकित तथ्य, साक्ष्यादि मेरी जानकारी में सही है।
गलत तथ्य एवं साक्ष्य के लिए पूर्णतः जिम्मेवारी मेरी होगी।

3. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका–1(i) में अंकित शिकायत का निवारण शीघ्र करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
शिकायतकर्त्ता का हस्ताक्षर–
शिकायतकर्त्ता का नाम–

शिकायतकर्त्ता का पता–
शिकायतकर्त्ता का मोबाईल नं0–
शिकायतकर्त्ता का ई0 मेल पता–
शिकायत की तिथि–
शिकायतकर्त्ता का फोटोसहित पहचान पत्र का नाम/नम्बर–
(यथा आधार कार्ड/मतदान पहचान पत्र इत्यादि
स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित)

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक -- राज0स्था0(मु0)-01/2019 /राँची, दिनांक-

कार्यालय आदेश

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या--1673 दिनांक-17.03.2026 के द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2026 का गठन किया गया है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों एवं सेवांत लाभ से संबंधित मामलों के लिए **श्री रंजीत कुमार, उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी** नामित किया जाता है।

3. सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवा/सेवांत लाभ संबंधी सभी शिकायतों का निस्तारण नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप किया जाय।

4. श्री बिनय प्रसाद सोनी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (प्रतिनियुक्त), खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को उक्त कार्य हेतु सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी से संबद्ध किया जाता है।

5. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(प्रनीता खलखो)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-- राज0स्था0(मु0)-01/2019 /राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि-- सरकार के सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-- राज0स्था0(मु0)-01/2019 276 /राँची, दिनांक- 11/05/26

प्रतिलिपि--निदेशक, खान/श्री रंजीत कुमार, उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, भूतत्व/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/श्री बिनय प्रसाद सोनी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रतिनियुक्त), खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची/खान एवं भूतत्व विभाग (मु0) के सभी पदाधिकारियों/कर्मियों, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव